

वृक्ष अधिकारी एवं
वन उप-संरक्षक
संध प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
वन विभाग, मोटी दमण.

सं.वन उप-संरक्षक/दमण/10/2015-16/17

दिनांक : 16/03/2017

विषय :- वृक्ष काटने हेतु अनुमति.

वृक्ष काटने हेतु All India Radio, Nani Daman. निवासी के वृक्ष काटने संबन्धी आवेदनपत्र दिनांक : 09/09/2015 के संदभ में निम्नलिखित शर्तों एवं निबन्धनों के पालक करने के साथ सर्वे सं (Varkund Mota Faliya, Nani Daman) की जमीन पर निचे वर्णित विवरण के अनुसार वृक्ष कतरन की अनुमति के बारे में सूचित किया जाता है।

वृक्ष / वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	प्रकार / नाम	कुल वृक्ष सं.
1	Casuarina Trees	80
Total		80 Nos.

वृक्ष अधिकारी एवं
वन उप - संरक्षक
दमण।

सेवा में,
All India Radio,
Varkund Mota Faliya,
Nani Daman

नियम एवं शर्तें

1. श्रेणीय वन अधिकारी द्वारा वृक्ष को चिह्नित करेंगे।
2. आवेदक अपनी जिम्मेदारी में एवं वन विभाग के पर्यवेक्षण में वृक्ष कतरायेंगे। संबन्धित भूमि पर अथवा व्यक्तियों के दावे संबन्धी मामले के बिना यह अनुमति दी जाती है।
3. यह आदेश प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर वृक्ष कतराने ने कार्य पूरा कर लिया जायेगा।
4. कतरन गये वृक्ष से प्राप्त उपादान श्रेणीय वन अधिकारी से सृजित पास लेकर स्थल से हटाना होगा।
5. तटीय क्षेत्र विनियम का उल्लंघन करते हुए पक्षकार किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे, इस शर्त पर अनुमति दी जाती है।

प्रतिलिपी :-

1. मुख्य वन संरक्षक, दमण - दीव एवं दादरा नगर हवेली को सादर सूचनार्थ।
2. वन संरक्षक, दमण-दीव एवं दादरा नगर हवेली को सादर सूचनार्थ।
3. श्रेणीय वन अधिकारी, दमण।
4. संबंधित बिट गाड, फॉरेस्ट गाड/ सिपाई।

Received
on 29.3.17
[Signature]